न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,तृतीय्,सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।

समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 370/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 919/19

19.8.19 आवेदक **1. गुलषन कुमार एवं 2. महेष कुमार,** जो समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 370/19, धारा–30;द्धबिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 29.7.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भारद्वाज जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई षराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद षराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुष्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 29.7.9 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेष देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–30;द्धबिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गष्ती के क्रम में घटनास्थल पर आवेदक अभियुक्तगण को एक मोटरसाईकल पर झोला में लिये 180 एम0एल0 के 20 पीस एवं 375 एम0एल0 के 4 पीस विदेषी षराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आवेदकगण दिनांक 29.7.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति, बरामद षराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राषि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेष दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेष दिया जाता है कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त के माता/पिता अथवा निकटतम संबंधी होगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद